

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI-110 054

Dated: 24/10/16

NOTIFICATION

No. F. 8(36)/2010/DAM/MR/ 7337 In continuation of notification No. F. 8(36)/2010-DAM/MR/478 dated 16.02.2012 and in exercise of the powers conferred by sub-section (c) of section 27 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to nominate Sh. Adeel Ahmad Khan, R/o 2/9A, II Floor, Jangpura-A, Delhi, a Member of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi as representative of the Delhi Agricultural Marketing Board.

The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi further directs that the above member of the said Marketing Committee shall take charge of his office with effect from the date of publication of his name in the official gazette. Sh. Adeel Ahmad Khan shall hold office for the remaining term of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi, duly constituted vide notification No. F. 8(36)/2010-DAM/MR/478 dated 16.02.2012.

**By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi**

Sakshi Mittal

**(SAKSHI MITTAL)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)**

No. F. 8(36)/2010/DAM/MR/7338-7353

Dated: 24/10/16

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi
11. The Principal Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Sh. Adeel Ahmad Khan, R/o 2/9A, II Floor, Jangpura-A, Delhi
16. Guard file.



(SAKSHI MITTAL)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
Govt. of NCT of Delhi

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक: 24/10/16

अधिसूचना

सं० 8(36)/2010/डीएम/एम आर/7337 अधिसूचना संख्या 8(36)/2010-डीएम/एमआर/478 दिनांक 16.02.2012 के क्रम में व दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं० 7), की धारा 27 की उप-धारा (सी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एतद् द्वारा श्री आदिल अहमद खान, निवासी 2/9ए, द्वितीय तल, जंगपुरा-ए, दिल्ली को दिल्ली कृषि विपणन परिषद के प्रतिनिधी के रूप में कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली का सदस्य नामित करते हैं।

उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आगे निर्देश करते हैं कि विपणन समिति का उपरोक्त सदस्य अपना कार्यालय-प्रभार, सरकारी गजट में उनका नाम प्रकाशित होने की तिथि से ग्रहण करेंगे। श्री आदिल अहमद खान, अधिसूचना संख्या 8(36)/2010-डीएम/एमआर/478 दिनांक 16.02.2012 द्वारा गठित कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली की शेष अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के नाम से तथा उनके आदेश पर,



(साक्षी मित्तल)
विशेष सचिव (विकास)

सं० 8(16)/2013/डीएम/एम आर/7338-7353

दिनांक : 24/10/16

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम् पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 श्री आदिल अहमद खान, निवासी 2/9ए, द्वितीय तल, जंगपुरा-ए, दिल्ली
- 16 गार्ड फाईल।

साक्षी

(साक्षी मित्तल)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार